

अनवान सतीश बिश्नोई बनाम सुभाष चन्द्र व अन्य

प्रकरण संख्या 2024/085

21.03.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ओमप्रकाश बिजारनिया पुत्र श्री राम देव सिंह निवासी वार्ड नं0 5, नेतड़वास सीकर जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि - वादी सतीश बिश्नोई द्वारा श्रीमान् न्यायालय में दुर्भिसन्धि रचकर रिकवरी से बचने के लिए गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर एक स्थगन प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में पेश किया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 3 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 25 व चक 1 पी बडी के मुरब्बा नं0 26 का रकबा प्रार्थी के हक में दस्तावेज बैयनामा का निष्पादन दिनांक 14.11.2024 को न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जयपुर के आदेशानुसार राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक कोनी जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी के हक में करवाया गया है। इस प्रकार से प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का वास्तविक स्वामी है। इसलिए प्रार्थी को उक्त वादपत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि वास्तविकता श्रीमान् न्यायालय के समक्ष आ सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 06 के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी में कथन किये कि प्रार्थी द्वारा अपने अधिकारों के लिए वाद पत्र एवं एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होने पर ही श्रीमान् जी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। यहां यह भी उल्लेख करने योग्य है कि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोनी से लिये गये ऋण के दस्तावेजात का दुरुपयोग कर फर्जकारी तरीके से एकतरफा आदेश जारी करवाकर यदि कोई दस्तावेज बैयनामा तैयार किया है तो ऐसा दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य है तथा ऐसे दस्तावेज से प्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिफल के अभाव में तैयार किया गया बैयनामा, कपटपूर्ण अन्तरण की श्रेणी में आता है जिससे कोई अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थी किसी प्रकार से उक्त कृषि भूमि का स्वामी नहीं है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जाने का हकदार नहीं है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रतिफल राशि अदा करने एवं कब्जा लेने के तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थी ने बैंक कर्मियों से मिलीभगती करके ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जकारी तरीके से विधि विरुद्ध दस्तावेज तैयार किये हैं तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर मन वादी के हक व हिस्सा की भूमि पर प्रार्थी बतौर अतिक्रमी काबिज होना चाहता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी किसी प्रकार से अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर से एकतरफा तौर पर आदेश प्राप्त कर तैयार किए गए बैयनामा को रद्द करने हेतु कार्यवाही की जा रही है इसलिए प्रार्थी को वाद में पक्षकार बनाने से अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया बढेंगी तथा प्रार्थी जो कि उक्त प्रकरण में तृतीय व्यक्ति है। प्रार्थी किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं है, ना ही औपचारिक पक्षकार है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी संव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से DRT के recovery case no 460/2023 के परिपेक्ष्य में श्री ओमप्रकाश बिजारनिया पुत्र श्री रामदेव सिंह कोर्टापालक दण्डनायक e-auction दिनांक 22.08.2024 द्वारा purchaser declare किया गया है अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार प्रतीत होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ओमप्रकाश बिजारनिया



अधिवक्ता कलक्टर एवं कोर्टापालक दण्डनायक (प्रा.दे.दे.क) श्रीगंगानगर

पुत्र श्री राम देव सिंह निवासी वार्ड नं० 5, नेतड़वास सीकर जिला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर को प्रतिवादी संख्या 06 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है पत्रावली संशोधित शिर्षक हेतु दिनांक 25.03.2025 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर